न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्र.सं. 65/2025 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. बंशी पुत्र कैलाश दास चेला श्रवणदास
2. धनसी उर्फ दिनेश पुत्र कैलाश दास चेला श्रवणदास
3. धर्मदास उर्फ दशरथ पुत्र कैलाश दास चेला श्रवणदास
4. पांची देवी पत्नी कैलाश दास चेला श्रवणदास

समस्त निवासी कालीखाड तहसील नागल राजावतान जिला दौसा राज

... प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र महादेव
2. बाबूलाल पुत्र महादेव
3 भरत लाल पुत्र कन्हैयालाल
4. मन्जू देवी पुत्री कन्हैयालाल
5. लालूराम पुत्र महोदेव
6 श्री किशन पुत्र महादेव
7 नहनी बेवा महादेव

समस्त जाति मीना निवासी कालीखाड तहसील नागल राजावतान जिला दौसा राज0

8. श्रीमान यशवन्त मीना उपखण्ड अधिकारी महोदय नागल राजावतान तहसील नागल राजावतान जिला दौसा राज0

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अंतर्गत धारा 25 सिविल प्रक्रिया सहिता 1908 पत्रवाली सं 110/2014 उनवानी जगदीश बनाम बन्शी वगैरा न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट नांगलराजावतान वाद अधिघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्थानान्तरण करने बाबत।

उपस्थित : 1. श्री भरतलाल मीना, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
3.श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 7

—:: निर्णय ::—

दिनांक: 15.9.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर में विचाराधीन अंतर्गत धारा 25 सिविल प्रक्रिया सहिता 1908 पत्रवाली सं 110/2014 उनवानी जगदीश बनाम बन्शी वगैरा न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट नांगल राजावतान वाद अधिघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा को किसी भी दीगर उप जिला कलक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र [illegible] तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 07 [illegible] अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट महोदय [illegible] एक वाद पत्र अधिघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] मिन प्रार्थीगण को प[illegible] बनाया है। मिन प्रार्थीगण की कब्जे व स्वामित्व की भूमि [illegible] पर उक्त वाद प[illegible]राधीन है। प्रकरण के वास्तविक तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण का बिना प्रॉपर नोटिस की तामील कराये

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.08 14:23:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

गलत तरह से तामील मानकर न्यायालय श्रीमान ने दिनाक 23–02–2022 को एक्स पार्टी के आदेश पारित कर दिये थे जिसमे मिन प्रार्थीगण को जानकारी होते ही एक्स पार्टी को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पस्तुत किया जिस पर दिनाक 11.09.2024 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एक्स पार्टी के आदेश निरस्त किये गये है। एक्स पार्टी आदेश निरस्त किये जाने पर प्रार्थी को जवाब हेतू अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था प्रार्थीगण ने आगामी पेशी पर जवाव प्रस्तुत किया तो रीडर साहब ने पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में जवाब लेने से मना किया व कहते रहे की साहब जिस दिन कोर्ट मे सिटिंग करे तब ही जवाब पेश करना इस तरह 5 पेशी तक जवाब स्वीकार नही किया व दिनाक 18.12.2024 को प्रार्थीगण का जवाब बन्द कर प्रकरण को सीधा बहस मे लगा दिया व दिनांक 8.1.2025 को एकतरफा बहस सुनना दिखा कर पत्रावली को वास्ते निर्णय नियत कर दिया। पत्रावली मे जवाब बन्द होने की जानकारी होते ही प्रार्थी ने दिनांक 16.04.2025 को प्रार्थना पत्र 151 सी. पी. सी प्रस्तुत किया जिसका निस्तारण किये बिना फिर से दिनाक 7.7.2025 को श्रीमान अधिनस्त न्यायालय दवारा दौसा केम्प कोर्ट में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी का निस्तारण करने के बजाय उक्त प्रकरण मे गलत तरीके से प्रार्थी को एक्स पार्टी मानते हुए प्रकरण का निर्णय करना चाहा प्रार्थी के अधिवक्ता द्ववारा कड़ा विरोध करने पर व पत्रावली मे प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय करने का आग्रह करने पर आगामी दिनाक 14.07.2025 को मोखिक रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आदेश सुनाया। उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए दिनांक 14.07.2025 को प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र रिडर साहब को दौसा केम्प कोर्ट में दिया तो कहा की उक्त पत्रावली साहब ने अपने पास ही रखली है मे उसमे नकल नही दे सकता और नकल का प्रर्थना पत्र वापस लोटा दीया, पूनः दिनांक 16.07.2025 को प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र रिडर साहब को नागल राजावतान कोर्ट में दिया तो नकल प्रार्थना पत्र लेकर रख लिया और पूनः उपरोक्त बात दोहराते हुए मना कर दिया पर प्रार्थी द्वारा विशेष दबाव बनाया गया व् श्रीमान को सिकायत करने की बात कही तब जाकर आज रोज आर्डर सीट की प्रति प्राप्त हो पाई है। जिसके अवलोकन से स्पस्ट हो रहा है की पत्रावली को जवाब स्वीकार करने के बाद अधिनस्त न्यायालय द्वारा न तो तनकी कायम की जा रही है ना ही प्रार्थी को साक्ष्य व् सबूत का अवसर दिया जा रहा है। इस प्रकार स्पस्ट है की उक्त प्रकरण मे उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट नांगल राजावतान व् रीडर साहब की भूमिका सन्दिग्ध है साथ ही उनका का निजी हित निहित है और प्रकरण में वह किसी भी प्रकार वादीगण अप्रार्थी के पक्ष मे निर्णय करने को आमादा है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण में तनकी बना कर उसके बाद प्रार्थीगण को साक्ष्य व् सबूत का अवसर दिया जाकर फिर बहस सुनिजाकर निर्णय किया जाना चाहिए। दिनांक 14.07.2025 को अप्रार्थीगण सं. 03 ने अधीनस्थ न्यायालय कैंप कोर्ट दौसा में उपस्थित होकर एलानियां कहा कि हमने उक्त प्रकरण में उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट नांगल राजावतान से पक्की साठ गाठ कर ली है और किसी भी तरह दिनांक 21.07.2025 या 28.07.2025 तक निर्णय कराकर इसी माह मे प्रार्थीगण को उसकी भूमि से जबरन लाठी के बल पर बेदलख कर देगे। अप्रार्थी सं. 01 जगदीश के पुत्र विनोद व् अप्रार्थी सं. 03 को दिनाक 14.07.2025 से पहले कई बार घन्टो तक उपखण्ड [illegible] के चैम्बर में बात करते हुए प्रार्थीगण द्वारा देखा है और दौसा कैंप कोर्ट [illegible] कहने के बाद फिर से दिनाक 16.07.2025 को बैठे हुए व बात [illegible] गया तथा अप्रार्थीगण सं. 01 लगा. 03 व् 5 लगा. 6 द्वारा [illegible] कि उपखण्ड अधिकारी अप्रार्थी सं. 08 से सांठ गांठ कर ली है वह हमारा दूर का [illegible]दार है और वह दिनांक 28.07.2025 तक किसी भी तरह अपने पक्ष मे दावे का निर्णय कर देगा और हम इसी माह मे प्रार्थीगण को उसकी भूमि से जवरन लाठी के वल पर बेदलख करदेगे। अप्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 08

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.08 14:23:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से मिलकर प्रार्थीगण के जायज अधिकारों से महरूम करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को मोके से बेदखल करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण मौके पर आज रोज तक काबिज है। अप्रार्थीगण गाँव में अपने मिलने वालों से सरेआम कह रहे है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को आगामी पेशी तक अपने पक्ष में आदेश करवा कर डिक्री करवा देगे। पीठासीन अधिकारी नांगल राजावतान हमारा मिलने वाला हमारा रिश्तेदार है तथा हमारी बात हो चुकी है तथा हमे पूर्ण आश्वस्त किया है कि हम आगामी पेशी पर वाद पत्र को स्वीकार करा देगे। जिससे भी प्रार्थीगण को पूर्ण अंदेशा हो गया कि अप्रार्थीगण का पीठासीन अधिकारी से सांठ–गाँठ हो जाने से प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में निष्पक्ष न्याय मिलने की आशा नही है तथा प्रकरण का निस्तार समक्ष क्षेत्राधिकार के अन्य न्यायालय में करवाना चाहते है एतदर्थ शीर्षक पत्रावली वाद पत्र को सुनवाई एवं निर्णय हेतु सक्षम क्षेत्राधिकार के अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर शीर्षक पत्रावली सं० 110/2014 उनवानी जगदीश वगै बनाम बन्शी वगैरा वाद अधिघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट नांगल राजावतान से तलब फरमाकर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय हेतु सक्षम क्षेत्राधिकार के अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण करने की कृपा करें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 7 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण प्रकरण में देरीना करने की गरज से यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रकरण में विधि के प्रावधानों के अनुसार पक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाकर सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
5. उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार विचाराधीन प्रकरण में पीठासीन अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। दोनों पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा रहा है। यदि प्रार्थीगण को न्यायालय से न्याय की आशा नहीं है तो न्याय हित एवं पक्षकारान के हित एवं प्रकरण के निस्तारण किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।
6. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. पीठासीन अधिकारी की आदेशिका का अवलोकन किया गया। दिनांक 24.6.2024 को पत्रावली 26.6.2024 के लिए बहस में नियत की गई। 11.9.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने के आदेश करते हुए प्रतिवादी को वास्ते जवाब अंतिम अवसर दिया गया। 4.12.2024 को पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली को सुना गया एवं वकील उभयपक्ष उपस्थित रहे एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं उन्हें अंतिम अवसर हेतु दिनांक 18.12.2024 दी गई। दिनांक 18.12.2024 को वकील उभयपक्ष उपस्थित एवं प्रतिवादी पवकील द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर जवाब बंद किया गया। 16.4.2025 को प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 7.7.2025 को पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकार कर प्रतिवादी का जवाब न्याय हित में स्वीकार किया गया।
8. उपरोक्त आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं जवाब देने में विलंब किया गया है एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस में प्रतिवादीगण को अनोंको असवर प्रदान किये गये है।
8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपजिला कलक्टर नांगल राजावतान में विचाराधीन प्रकरण पत्रावली सं० 110/2014 उनवानी जगदीश वगै बनाम बन्शी वगैरा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.08 14:23:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

दीगर उप जिला कलक्टर को स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर लवाण को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 15 सितम्बर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.08 14:23:26 IST
Reason: SelfAttested